

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-15/2025- 1931 / न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक- 18/12/26

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (पर्यवेक्षकीय संवर्ग), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रोसड़ा की सेवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके पैतृक विभाग सहकारिता विभाग को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राजीव रंजन तिवारी)

सरकार के उप सचिव।


ज्ञापक-01/स्था० (का०पदा०)-15/2025 1931 / न०वि०आ०वि०, पटना / दिनांक- 18/12/26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, सहकारिता विभाग/श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (पर्यवेक्षकीय संवर्ग), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रोसड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (नगर विकास एवं आवास विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री पंकज कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/12/2026
सरकार के उप सचिव।